कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्रीमती कामिनी चौहान रतन, आई0 ए0 एस0, एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री अखिलेश कुमार शाह एडवोकेट, 843, नाहर बाग, फैजाबाद।**
प्रार्थना पत्र संख्या	**99 / 11**
प्रार्थी की ओर से	**श्री अखिलेश कुमार शाह, अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. विद्वान अधिवक्ता द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-99 / 11, दिनांक 21.10.11 प्रस्तुत किया गया है जिसमें कहा गया कि Through amendment in Schedule II vide Notification No.-KA. NI.-2-421 / XI-9 (1) / 08-U.P. Act-5-2008-order-(71)-2011 Lucknow :: Dated :: March 31, 2011, the Sim Card has been made chargeable to VAT @4% (plus SAT 1%).

Whether the decision of Hon'ble Supreme Court in the case of Idea Mobile Communication Ltd. vs. CCC & C and Bharat Sanchar Nigam Ltd. vs. Union of India, can have an impect on the taxability of Sim Cards under U.P. VAT Act, 2008.

2. सुनवाई हेतु विद्वान अधिवक्ता-श्री अखिलेश कुमार शाह उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सर्वश्री आइडिया मोबाइल कम्यूनिकेशन लि0 बनाम सी0 सी0 सी0 एण्ड सी तथा भारत संचार निगम लि0 बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के निर्णय के उपरान्त सिम कार्ड पर करदेयता नहीं होना चाहिए। अन्त में प्रार्थना-पत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया गया।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, फैजाबाद जोन के पत्रांक-354, दिनांक 29.05.12 द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है जिसमें कहा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री आइडिया मोबाइल कम्यूनिकेशन लि0 बनाम सी0 सी0 सी0 एण्ड सी, दिनांक 04.08.11 तथा भारत संचार निगम लि0 बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के मामले में निर्गत निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सिम कार्ड की बिक्री पर करदेयता पर प्रभाव पड़ने से सम्बन्धित प्रश्न उठाया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत संचार निगम लि0 बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया 2006 NTN Vol. 29-307 (2006) 3 SCC की तीन सदस्यीय पीठ द्वारा बहुमत से इस आशय का निर्णय दिया है कि सिम कार्ड का मूल्य तथा एक्टीवेशन चार्ज को यदि अलग किया जा सके, तब सिम कार्ड की बिक्री पर कर आरोपित किया जा सकता है, जबकि आइडिया मोबाइल कम्यूनिकेशन लि0 बनाम सी0 सी0 सी0 एण्ड सी0 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक सदस्यीय पीठ द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि मोबाइल कम्पनियों द्वारा संचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए समग्र रूप से ही सिम कार्ड तथा एक्टीवेशन चार्ज लिया जाता है और इस कारण से समस्त संव्यवहारों पर वसूल की गयी धनराशि पर सेवा कर का ही दायित्व है तथा सिम कार्ड की बिक्री पर कर की कोई देयता नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री भारत संचार निगम लि0 बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के मामले में दिया गया निर्णय ही प्रभावी माना जाना चाहिए।

.....2

शासन द्वारा सिम कार्ड की बिक्री पर 4% की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ चैप्टर 8542 में सिम कार्ड को वस्तु माना गया है, तथा उत्पाद शुल्क आरोपण की श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार सिम कार्ड एक वस्तु है और इस कारण से सिम कार्ड की बिक्री पर वाणिज्य कर की भी देयता बनती है। संचार सुविधा उपलब्ध कराने हेतु यदि कर देयता से बचने के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा सिम कार्ड पर अलग से कोई मूल्य न वसूले जाने का दावा किया जाता है तब भी सिम कार्ड पर कर की देयता बनती है क्योंकि किसी वस्तु की बिक्री नियमित रूप से निर्मूल्य नहीं की जा सकती है और वास्तव में संचार कम्पनियों द्वारा ग्राहकों को दूरभाष की जो सुविधा उपलब्ध करायी जाती है, उसकी समस्त प्रक्रिया को देखते हुए सिम कार्ड की बिक्री ही माना जाना उचित है। इस सन्दर्भ में माननीय कमिश्नर, वाणिज्य कर महोदय द्वारा सर्वश्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री वैजनाथ सिंह, सी-1 / 214, लाजपत नगर, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र पर दिनांक 10.12.10 को दिये गये निर्णय में सिम कार्ड पर 4% की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है।

4. प्रस्तुत कर्ता अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि प्रश्नगत धारा-59 का प्रार्थना-पत्र विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत करते हुए सिम कार्ड की बिक्री पर करदेयता पूछी गयी है। वैट अधिनियम की धारा-59 के अन्तर्गत वही प्रश्न पूछ सकता है जो इस अधिनियम के अन्तर्गत ग्रीवान्स रखता हो। चूँकि विद्वान अधिवक्ता का कोई ग्रीवान्स नहीं है अत: उनके द्वारा दिया गया प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है।

एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1 (विधि) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा विधि राय देते हुए कहा गया है कि प्रस्तुत कर्ता अधिकारी का उक्त मत सही है। धारा-59 के लिए अधिवक्ता "Person or dealer Concerned" की श्रेणी में नहीं आते हैं।

5. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र, पत्रावली एवं अभिलेख का परिशीलन किया गया। पाया गया कि वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र विद्वान अधिवक्ता-श्री अखिलेख कुमार शाह द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसमें सिम कार्ड पर करदेयता की स्थिति पूछी गयी है। वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि the person or the dealer concerned ही प्रश्न पूछ सकता है। विद्वान अधिवक्ता महोदय न तो person concerned हैं और न ही dealer concerned हैं। वह इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई ग्रीवान्स नहीं रखते हैं और न ही उनका इस अधिनियम के सापेक्ष हित निहित है । अत उक्त कारणों से विद्वान अधिवक्ता द्वारा वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति विद्वान अधिवक्ता, सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 4 सितम्बर, 2012

ह0 / 04.09.2012

(कामिनी चौहान रतन)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।